AMG-II/2024-25/MHIS I/727583/2024

## भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय मध्य प्रदेश ऑडिट भवन झांसी रोड, ग्वालियर 474002

## लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- द्वितीय के दल क्रमांक 01 का दौरा कार्यक्रम <u>"Compliance Audit on Adequacy of Mental Health Care Institutions in the State"</u>

\_

1	श्री प्रभात शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB310460		
2	श्री दीपक पाठक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3111704		
3	श्री सिद्धांत दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB 3112284		
4	श्री मनोज धाकड़, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB3112171		
5	श्री राकेश कुमार मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, MPGWB3112153		
	(only for 1st Unit-CS Cum Hospital Superintendent, Ratlam)		

इकाई का नाम		लेखापरीक्षा अवधि	श्रेणी
	दिवस		
प्रस्थान- ग्वालियर से रतलाम		01/09/2024	
Civil Surgeon Cum Hospita  Superintendent, Ratlam	09	02. <b>0</b> 9. <b>2024</b> से 12. <b>0</b> 9. <b>2024</b> तक	Α
[DCA and Transaction Audit-02/19 से]		(147	
Secretary District Health Society Ratlam	<sup>/,</sup> 09	13.09.2024 社 26.09.2024	Α
[DCA and Transaction Audit-04/18 से]		तक	
Psychiatry Wing of Dean, Government Medical College, Ratlam	t o3	27.09.2024 से 01.10. <b>2024</b>	
(DCA related work)		तक	
प्रस्थान- रतलाम से खण्डवा		01.10.2024(night)/	
		02.10.2024	
Civil Surgeon Cum Hospita Superintendent, Khandwa	07	03.10.2024 社 10.10.2024	В
[DCA and Transaction Audit-07/19 社]		तक	
5 Secretary District Health Society Khandwa [DCA and Transaction	1 07	11.10.2024 社 22.10.2024	В
Audit-04/19 से]		तक	
Psychiatry Wing of Dean, Governmen	t	23.10.2024 से 25. <b>10.2024</b>	
Medical College, Khandwa (DCA related work)	03	तक	
प्रस्थान- खण्डवा से ग्वालियर		25.10.2024	

AMG-II/2024-25/MHIs I/727583/2024

				(night)/26.10.2024				
अवकाश:- सितम्बर:7,8,14,15,16,21,22,28,29, अक्टूबर:2,5,6,12,13,17,19,20,26								

नोट: श्री राकेश कुमार मीणा/स.ले.प.अ. प्रथम ईकाई CS, Ratlam की लेखापरीक्षा उपरांत दिनांक 12.09.2024 रात्रि/13.09.2024 को ग्वालियर के लिए प्रस्थान लेंगे।

## टीप:

- कृपया ईकाई पर पहुच कर ईकाई का दूरभाष क्रंमांक सचिवालय उप महालेखाकार/ए.एम.जी-2
  एंव विरष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी-2 मुख्यालय को ई-मेल पर सूचित करें |
- 2. दौरे से अवकाश पर जाने एंव वापिस कार्यस्थल पर पहुचने की सूचना समय सहित मुख्यालय को कैंप छोड़ने से पूर्व अनिवार्य रूप से सूचित करें |
- 3. प्रत्येक चक्र में दौरा दल के प्रत्येक अधिकारी का ड्राफ्ट पैरा में परिवर्तनीय कम से कम एक कंडिका का योगदान को कोटा निर्धारित किया जाता है | चक्र समाप्ति पर प्रधान महालेखाकार की समीक्षा मीटिंग में सम्बंधित अधिकारी अपनी कंडिका का प्रस्तुतिकरण करेंगे |
- ईकाई की लेखापरीक्षा समाप्ति के तुरंत पश्चात लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मुख्यालय पर भेजना सुनिश्चित करें
- 5. यदि कोई ईकाई किसी कारणों से निरस्त होती है तो लेखापरीक्षा दल समूह अधिकारी को यूनिट का दूरभाष क्रंमांक सूचित करेगा एंव यूनिट से लिखित में ऑडिट न करने का तथ्य प्राप्त करेगा | यूनिट को लिखित में यह भी सूचित करेगा कि यह तथ्य उनके उच्च अधिकारियों को समूह अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया जावेगा | इसके उपरांत प्रोग्राम की अगली यूनिट को प्रस्थान करेगा |
- 6. निरीक्षण प्रतिवेदन में ली गयी आपितयों के सम्बन्ध में पूर्ण KDs लगाना तथा पूर्ण विश्लेषण करना अनिवार्य है |
- 7. P.D खाते की जाँच प्रत्येक ईकाई पर की जावे एंव आपित निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मलित की जावे |
- 8. पूर्व लंबित कंडिकाओं के निराकरण हेतु अधिकादिक प्रयास किये जायें |
- 9. प्रथम ईकाई पर पहुँचकर आगे की ईकाई की सूचना-पर्ची स्वयं जारी करें |
- निरिक्षण दल अधिकारी ईकाई के कार्य अनुसार कार्यदिवसों को स्विववेकानुसार कम कर सकते हैं
- 11. DO Letter/Event प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मुख्यालय पर अनिवार्यतः प्रेषित करना स्निश्चित करें
- 12. Balance Sheet Audit केवल मार्च तक ही संपन्न की जावे |
- 13. निरस्त ईकाई की लेखापरीक्षा उसी दल द्वारा आगामी चक्रों में की जावेगी |
- 14. यदि किसी दल सदस्य को लगता है कि किसी यूनिट में वह रिपीट हो रहे है तो तुरंत समूह अधिकारी को सूचित करें |
- 15. लेखापरीक्षा के दौरान राजस्व की प्राप्ति से सम्बंधित आपत्तियों/Audit Observation को लेखापरीक्षा निरिक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे ।

AMG-II/2024-25/MHIS I/727583/2024

विशेष:- (i)चेकिलिस्ट, ऑब्जेक्ट/सब-ऑब्जेक्ट हेडवार व्यय, प्रोजेक्ट/पीपीपी Under Execution, PD Account/Bank Account से सम्बंधित समस्त जानकारी जैसेिक PD Account/Bank Account की अनुमित एंव उसकी किये गये व्ययों की जाँच, सहायक अनुदान का उपयोग, कर्मचारियों एंव उनके प्रशिक्षण की स्थिति, (ii) ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया की जाँच करना (iii) अभिलेखों के संधारण की जाँच करना (iv) शासकीय धन का उपयोग किये बिना बैंक खातों में जमा रखने (Parking of Funds) से सम्बंधित जाँच इत्यादि पर दल द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने का Assurance अनिवार्य रूप से निरिक्षण प्रतिवेदन के साथ देना हैं |

(महालेखाकार महोदया के अनुमोदन उपरांत जारी)

RASHMI MISHRA वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी लेखापरीक्षा प्रबन्धन समूह-द्वितीय (मु.)